

मतुआ समुदाय

स्रोत: हट्टिसुतान टाइम्स

पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय नागरकित्तु संशुधन अधनियिम (Citizenship Amendment Act- CAA), 2019 के कार्यान्वयन की मांग कर रहा है।

- मतुआ, बंगाली हट्टिओं का एक वंचति/दलति वर्ग है। यह वर्ग बंगाल के अनुसूचति जातिसमूह का हसिसा है। वर्ष 1971 के युद्ध (जसिके परिणामस्वरूप बांग्लादेश अस्तित्त्व में आया) से पूरव तथा उसके पश्चात् मतुआ समुदाय के लाखों लोगों ने धार्मकि उत्पीड़न से परेशान होकर भारत में प्रवास कयिा।
- पश्चिम बंगाल में अनुसूचति जाति की कुल आबादी में नामशूद्र (मतुआ) समुदाय की हसिसेदारी 17.4% है और उत्तर बंगाल में राजबांशयिों के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा समूह है।
- **हरचिंद ठाकुर** नाम के एक समाज सुधारक को मतुआ महासंघ (Matua Mahasangha) का संस्थापक माना जाता है, जो मतुआ समुदाय का प्रतिनिधित्त्व करता है।
 - इन्होंने जाति आधारति उत्पीड़न का वरिोध कयिा तथा दलतियों के शक्तिषा और सामाजकि उत्थान की दशिा में कार्य कयिा।

और पढ़ें: नागरकित्तु संशुधन अधनियिम

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/matua-community>